न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

बइजलास – पीठासीन अधिकारी– रोहित कुमार आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं. 205/2019

प्रार्थीगण

1. तोगाराम पुत्र सताराम
2. साजनराम पुत्र सताराम
3. राजुराम पुत्र सताराम
4. मानीदेवी पत्नी सताराम जातियान जाट
5. हेराजराम पुत्र मालाराम जाति जाट
6. मेगसिंह पुत्र पुंजराजसिंह जाति राजपुत
7. मोहनकवंर पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपुत
8. खेतसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपुत
9. गीताकवंर पुत्री गुलाबसिंह जाति राजपुत
10. पुष्पाकवंर पुत्री गुलाबसिंह जाति राजपुत
11. डुगंरसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपुत निवासी रिकरलाई तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (राज.)

ब ना म

विप्रार्थीगण

1. अमृतलाल पुत्र उका जाति सोनी
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र उका जाति सोनी
3. जयनारायण पुत्र उका जाति सोनी
4. अशोक पुत्र उका जाति सोनी निवासीयान सिणली जागीर
5. हनुमानराम पुत्र अणदाराम जाति जाट
6. गणपतराम पुत्र अणदाराम जाति जाट
7. उमाराम पुत्र अणदाराम जाति जाट
8. सारो पत्नी अणदाराम जाति जाट
9. पुरखाराम पुत्र भीखाराम जाति जाट
10. धींगसिंह पुत्र खीमसिंह राजपुत निवासीयान रिकरलाई
11. ग्राम पंचायत सिणली जागीर जरीये सरपंच ग्राम पंचायत सिणली जागीर तहसील पचपदरा
12. मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत
13. प्रेमसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत
14. हुकमसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत
15. जितेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत
16. नगीना पुत्री भंवरसिंह जाति राजपुत
17. माडुदेवी पत्नी भंवरसिंह जाति राजपुत
18. अर्जुनसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपुत
19. शंकरसिंह पुत्र मिसरसिंह जाति राजपुत
20. हीरसिंह पुत्र मिसरसिंह जाति राजपुत

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

21. हुआ पत्नी मिसरसिंह जाति राजपुत
22. मगनसिंह पुत्र भगसिंह जाति राजपुत
23. हेमसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपुत
24. सुमेरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपुत
25. कस्तुरीकवंर बेवा देवीसिंह जाति राजपुत
26. सांगसिह पुत्र भगसिंह जाति राजपुत
27. नरपतसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत
28. मोतीसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत
29. प्रहलादसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत
30. जतनो कवंर बेवा लालसिंह राजपुत निवासीयान रिकरलाई

31(1) नैनसिंह पुत्र गजेसिंह जाति राजपुत

31(2) हुकमसिंह पुत्र गजेसिंह जाति राजपुत

31(3) मोहनकवंर पत्नी गजेसिंह जाति राजपुत निवासीयान रिकरलाई तहसील पचपदरा

32. टमीदेवी पत्नी पुनमचन्द विश्नोई नि. पटाऊ कला
33. संगीता पत्नी बद्रीनारायण विश्नोई नि. पटाऊ कला

34 नैनसिंह पुत्र मकसिंह जाति राजपुत

35. मदनसिंह पुत्र खुबसिंह जाति राजपुत
36. शान्ति बेवा खुबसिंह जाति राजपुत
37. चेलसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपुत
38. चुतराराम पुत्र विरदाराम राजपुत नि. रिकरलाई

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

39/1 मावाराम पुत्र बींजाराम जाति भील

39/2 अणदाराम पुत्र बींजाराम जाति भील

40(1) मोहनराम पुत्र पुनमाराम जाति भील

40(2) फताराम पुत्र पुनमाराम जाति भील

40(3) हरूराम पुत्र पुनमाराम जाति भील

41 चांदीया पुत्र खीमाराम जाति भील

42. करणीयां पुत्र खीमाराम भील निवासीयाना कितपाला
43. विशनसिंह पुत्र बुधसिंह राजपुत
44. जालमसिंह पुत्र छगनसिंह जाति राजपुत
45. हड़मतसिंह पुत्र छगनसिंह राजपुत
46. गोरधनसिंह पुत्र छगनसिंह जाति राजपुत
47. सांवलसिंह पुत्र गोमा जाति राजपुत
48. कंकु कंवर बेवा गोमा जाति राजपुत निवासी रिकरलाई
49. आसी पुत्री मगाराम राजपुत निवासी रिकरलाई

50 शाखा प्रबंधक ओबीसी शाखा बालोतरा

51. शाखा प्रंबन्धक पीएनबी शाखा जसोल
52. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा टापरा

....3..

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

53. शाखा प्रंबन्धक एस.बी.आई. शाखा बालोतरा

54. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट

दिनांक 09.01.2020

आदेश

उपस्थित : 1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

2. श्री विकम आसिया अधिवक्ता विप्रार्थीगण की ओर से ।

प्रार्थीगण ने न्यायालय में वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आरएलआरएक्ट बाबत् तरमीम दुरस्ती बाबत् इस आशय का पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं, राजस्व गांव रिकरलाई पटवार क्षेत्र सिणली जागीर तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा मूल खसरा सं. 296 अवस्थित रहा हैं, वक्त सेटलमेन्ट खसरा सं. 296 का कुल रकबा 1304 बीघा 08 विस्वा रहा हैं, जो मौके व नक्शे अनुसार सम्पूर्ण रूप से अवस्थित रहा, तदोपरान्त खसरा सं. 296 के निम्न तरमीमी खसरान् बने :–

क्रम सं.	खसरा सं.	रकबा
1.	441 / 296	42.18 बीघा
2.	444 / 296	60 बीघा
3.	445 / 296	60 बीघा
4.	446 / 296	40 बीघा
5.	447 / 296	60 बीघा
6.	448 / 296	57 बीघा
7.	450 / 296	60 बीघा
8.	451 / 296	30 बीघा
9.	452 / 296	30 बीघा
10.	453 / 296	60 बीघा
14.	454 / 296	60 बीघा
15.	455 / 296	60 बीघा
16.	456 / 296	60 बीघा
17.	457 / 296	60 बीघा
18.	458 / 296	60 बीघा
19.	459 / 296	9.10 बीघा
20.	460 / 296	50 बीघा
21.	461 / 296	60 बीघा
22.	462 / 296	60 बीघा
23.	463 / 296	25 बीघा
24.	464 / 296	30 बीघा
25.	465 / 296	40 बीघा
26.	466 / 296	40 बीघा
27.	467 / 296	40 बीघा

....4..

28.	468/296	40 बीघा
29.	469/296	40 बीघा
30.	470/296	40 बीघा
31.	471/296	30 बीघा

उपरोक्त खसरा सं. 495/296, 447/296, 448/296 के अलावा अन्य किसी भी खसरे की कोई तरमीम नक्सा लटटा ट्रेस में नही हुई हैं, खसरा संख्या 447/296, 448/296, की वर्तमान लटटा ट्रेस में की गई तरमीन यथावत रखने से मौके पर प्रार्थीगण सं. 01 ता 06 की भूमि मे दखल की स्थिति उत्पन्न हो रही है, पुर्व में भी तरमीन वर्तमान लटटा ट्रेस में दर्ज अनुसार नही रही है, इसलिये उक्त तरमीम को हटाकर खातेदारान के मौके पर कब्जे एंव राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार तरमीम कायम करने हेतु वर्तमान प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। मूल खसरा सं. 296 का कुल रकबा 1304.08 बीघा रहा है, जिसमें खसरा सं. 495/296, 447/296, 448/296 के अलावा अन्य किसी भी खसरे की कोई तरमीम नही की गई, लेकिन मौके पर पक्षकारान् का कब्जा अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर बिना किसी दखल हस्तक्षेप के कायम रहा व है, यहां यह निवेदन करना भी समिचीन है, कि खसरा सं. 495/296, 447/296, 448/296 की नक्सा लटटा ट्रेस में की गई तरमीम मनमानी तरंग पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के ही मौके पर कब्जे एवं जमाबन्दी में दर्ज हिस्से से भिन्न दर्ज करवा दी, मूल खसरा सं. 296 में मात्र विप्रार्थी सं. 01 ता 09 के जमाबंदी में दर्ज खसरों की तरमीम नक्शे में मौके के कब्जा कास्त से विपरीत होने से, विप्रार्थी सं. 01 ता 09 के द्वारा ऐसी अशुद्ध गलत तथा मौके की स्थिति के विपरीत तरमीम को आधार बना कर प्रार्थीगण के कब्जे में अनुचित दखल/हस्तक्षेप करने को उतारू हैं, जिससे प्रार्थीगण के विधिक साम्पतिक अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावी हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में उक्त खसरा सं. 495/296, 447/296, 448/296 की तरमीम को दुरस्त करना आवश्यक हैं। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थी तहसीलदार को जरीये नोटिस तलब किया, विप्रार्थीगण की ओर से इकबाली जबाव प्रस्तुत किया और तरमीम दरस्त करने में अनापत्ति जाहिर की, तत्पश्चात मौके एवं रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही, जो तहसीलदार पचपदरा से जरीये पत्र कमांक/मुख/2019/6947 दिनांक 30.12.2019 प्राप्त हुई। जिसके अनुसार रिपोर्ट में बताया कि उपरोक्त मुल खसरा सं. 296 मे कुल 32 बटटा नम्बर में से लटटा ट्रेस में 447/296, 448/296, 464/296 की तरमीम लाल स्याही से दर्ज है, जो गलत है।

हमने बहस सुनी पत्रावली व सलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर यह तथ्य स्पष्ट हुआ है, कि नक्शा लटटा ट्रेस में खसरा सं. 447/296, 448/296, 464/296 की ही तरमीम है, अन्य किसी खसरे की तरमीम नही है, उक्त तरमीम भी त्रुटिपुर्ण है। जिसको दुरस्त करना न्यायहित में आवश्यक प्रतित होता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खसरा सं. 464/296 (495/296), 447/296, 448/296 की हद तक स्वीकार कर मौजा रिकरलाई पटवार क्षेत्र सिणली जागीर के मूल खसरा सं. 296 में मौके कब्जे के विपरीत गलत एवं अवैध तरीके से की गई नक्शा लटटा ट्रेस में लाल स्याही से की गई तरमीम खसरा सं. 464/296 (495/296) 447/296, 448/296 को हटाया जाकर रिपोर्ट के सलग्न हरी स्याही से दर्शायी खसरा सं. 464/296 (495/296) 447/296, 448/296 की तरमीम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है, अन्य खसरो की तरमीम भूमिधारक नियमानुसार करें। राजस्व रेकर्ड नक्शा इसी अनुसार दुरस्त है। पक्षकारान् खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) / उपखण्ड अधिकारी

एसडीओ बालोतरा

Scanned by CamScanner